बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक :– 31 पटना, दिनांक 16/1 2015

संकल्प

विषय :– ड्राई वेयर हाउस आधारित आर0ए0बी0सी0 की स्थापना की स्वीकृति।

विगत् कुछ वर्षों से राज्य में फूड ग्रेन उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है एवं उतरोत्तर वृद्धि हो रही है। इसी को ध्यान रखते हुए राज्य सरकार के स्तर से कृषि रोड मैप प्रतिपादित किया गया। यद्यपि शीत भण्डारण हेतु प्रयास राज्य सरकार के स्तर से काफी की जा रही है लेकिन साथ ही साथ ड्राई वेयर हाउसिंग की आवश्यकता विगत कुछ वर्षों से काफी बढ़ी है।

2. प्रस्तावित योजना में मुख्यतः धान एवं गेंहूँ भण्डारण करने का प्रस्ताव है क्योंकि अन्य फसल यथा दाल, तेलहन, प्याज एवं मशाला इत्यादि का भण्डारण लम्बे समय तक नहीं किया जा सकता है। धान एवं गेंहूँ आधारित ड्राई वेयर हाउस की क्षमता एक चक्र भण्डारण हेतु 3300 मे0 टन एवं परियोजना लागत भूमि को छोड़कर रु0 4.00 (चार) करोड़ संभावित है, जबकि दो चक्र हेतु क्षमता एवं लागत क्रमशः 2000 मेट्रिक टन एवं भूमि को छोड़कर रु0 2.8 (दो करोड़ अस्सी लाख) करोड़ संभावित है।

3. ड्राई वेयर हाउस बेस्ड आर0ए0बी0सी0 में कम्पोनेन्ट के रूप में भण्डारण हेतु 60 प्रतिशत क्षेत्र का उपयोग किया जायेगा। जबकि मशीन एवं संयंत्र हेतु परियोजना स्थल का 5 प्रतिशत तक उपयोग होगा। मशीन एवं संयंत्र के अन्तर्गत् क्लीनर, सॉर्टर, लैब इक्वीपमेन्ट, ट्रैक्टर एवं ट्रॉली, फार्क लिफ्ट, कन्वेयर बेल्ट, सिलाई मशीन, वेईंग मशीन, इन्सेक्ट कैचर, एक्सहाउस्ट फैन व्यवहृत होगा।

4. ड्राई वेयर हाउसिंग की आवश्यकता को मद्देनजर राज्य सरकार के कई विभागों के स्तर से योजनाएँ कार्यान्वित की जा रही है। यथा – को–ऑपरेटिव, नावार्ड, कृषि विभाग, भण्डारण निगम इत्यादि। इन सभी योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित को परियोजना के कैपिटल एक्सपेंडीचर के विरूद्ध 25 प्रतिशत तक अनुदान देने का प्रावधान है। ड्राई वेयर हाउसिंग सम्बन्धित इकाई को अनुदान राशि मुहैया कराने में एकरूपता लाने के उद्देश्य से खाद्य प्रक्षेत्र हेतु समेकित विकास योजना के तहत् भी अन्य विभागों की तरह अनुदान राशि कैपिटल एक्सपेंडीचर का 25 प्रतिशत अनुदान ड्राई वेयर हाउस वेस्ट आर0ए0बी0सी0 की परियोजना को दी जायेगी, जिसकी अधिकतम सीमा रू0 5.00 (पाँच) करोड़ होगा।

5. इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं की राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 2852–उद्योग, मुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–102–औद्योगिक उत्पादकता मांग संख्या–23 उप शीर्ष–0159–खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु प्रोत्साहन, विपत्र कोड–पी02852801020159, राज्य योजना स्कीम कोड–IND–5431, विषय शीर्ष 33 01 सब्सिडी मद से विकलित होगा।

Filepath://D/sonukumar/sanlekh

6. यह संकल्प निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय, साथ ही इसकी 100 (एक सौ) अतिरिक्त प्रतियाँ विभाग को भेजी जाए।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार पटना।

ज्ञापांकः–डी0एफ0पी0/एफ01–25/2014 पटना/दिनांक :–

प्रतिलिपिः– प्रभारी इ0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार पटना।

ज्ञापांकः–डी0एफ0पी0/एफ01–25/2014 पटना/दिनांक :–

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार पटना।

ज्ञापांकः–डी0एफ0पी0/एफ01–25/2014,31 पटना/दिनांक :– 16/1/15

प्रतिलिपिः– उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, इन्दिरा भवन पटना/प्रबंधक, आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा–1 (स0) उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से
Amitab
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार पटना।